राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी :–
राजस्व वाद स. 232/2010

1. छोटूराम पुत्र श्री बीरबल
2. लीलाराम पुत्र श्री बीरबल राम
3. शीशराम पुत्र श्री बीरबल राम
4. जयमल पुत्र श्री बीरबल राम समस्त जाति गुर्जर निवासी कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– ब ना म –

1. चिड़िया देवी पत्नी श्री पीतराम
2. श्रवण देवी पत्नी श्री मालाराम
   2/1. बनवारी पुत्र श्रवण देवी
   2/2. शिशराम पुत्र श्रवण देवी
   2/3. जवानाराम पुत्र श्रवण देवी
   2/4. इन्द्राज पुत्र श्रवण देवी
   2/5. बाबुलाल पुत्र श्रवण देवी
   2/6. धूमा पुत्री श्रवण देवी
   2/7. छोटी पुत्री श्रवण देवी
   2/8. फूली पुत्री श्रवण देवी
   2/9. घोघड़ी पुत्री श्रवण देवी
3. मालाराम पुत्र श्री हरनारायण
4. मथरा पुत्र श्री हरनारायण
5. रूड़ा पुत्र श्री हरनारायण
6. धुड़ाराम पुत्र श्री जयमल
7. दुलीचन्द पुत्र श्री जयमल
8. मिश्री बेवाह जयमल
9. मूला पुत्र श्री सुरजा
10. शेराराम उर्फ टोराम पुत्र श्री सुरजाराम
11. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री दोदीया उर्फ ढेडा
12. गोपी पुत्र श्री रूघा जाति गुर्जर **(मृत)**
    समस्त जाति गर्जर निवासी कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपस्थिति –
1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता प्रतिवादीगण स. 1 व 2/1 लगाय 2/9 की ओर से
3. शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा – घोषणात्मक , खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

दिनांक – 3.11.23

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद पत्र – घोषणात्मक , स्थाई निषेधाज्ञा , खाता विभाजन इन संक्षिप्ततः अभिवचनो के साथ प्रस्तुत किया गया हैं कि :–

1. यह कि ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 40 रकबा 0.80 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 1.16 हैक्टर ख.न. 279 रकबा 0.62 हैक्टर ख.न.280 रकबा 0.64 हैक्टर ख.न. 395 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न 410 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न.411 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 411 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 412 रकबा 0.65 हैक्टर ख.न. 413 रकबा 0. 90 हैक्टर ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 8.05 हैक्टर मे वादीगण का 1/5 हिस्सा हैं वादी स. 4 का नाम सहवन से रह गया हैं व उसकी जगह प्रतिवादी स. 6 धूड़ा , प्रतिवादी स. 7 दूलीचन्द प्रतिवादी स. 8 मिश्री को वादीगण स.1 से 3 के साथ 1/25 हिस्से का खातेदार दर्ज किया हुआ हैं जबकि वास्तविकता यह हैं कि उक्त प्रतिवादीगण स. 6 , 7, 8 जयमल पुत्र सुरजाराम के वारीसान हैं व उनका हिस्सा प्रतिवादी स. 9 मूला पुत्र सुरजा , प्रतिवादी स.10 शेरा उर्फ टोरा पुत्र सुरजाराम के साथ 1/5 हिस्सा हैं इस 1/5 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादी स. 7 लगायत 10 हैं व राजस्व रिकॉर्ड मे वादीगण संख्या 1 से 3 के साथ उक्त प्रतिवादीगण स. 6 लगायत 8 का हिस्सा गलत दिखाया गया हैं जबकि वादीगण के साथ 1/5 हिस्से मे उनका सगा भाई जयमल हैं पक्षकारान की वशांवली भी पेश की गई। इस प्रकार से उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हैं कि विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से निर्मित हुआ हैं जो दुरूस्त होने योग्य हैं।
2. यह कि प्रतिवादी स. 12 गोपी जो कि एक 85 वर्ष की उम्र का वृद्ध हैं जो सोचने समझने मे असमर्थ हैं उसे प्रतिवादी स. 3 मालाराम व प्रतिवादी स. 5 रूडा ने बहकाकर क्रमशः अपनी पत्नि व पुत्र वधू श्रीमती चिड़िया देवी पत्नि पीतराम जो प्रतिवादी स. 5 रूडा की पुत्रवधु हैं व प्रतिवादी स.1 हैं व श्रीमती श्रवण देवी पत्नि मालाराम प्रतिवादी स.2 जो प्रतिवादी स.3 की पत्नि हैं के नाम एक नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 03.12. 2007 को एक नुमाईसी विक्रय पत्र करवा दिया हैं उक्त भूमि मे वादीगण का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी स.11 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स. 12 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी स. 13 भूमिधारक हैं।
3. यह कि उक्त विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण स. 3 से 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं व उनके पूर्वज रूघा पुत्र तुलसी की खातेदारी की भूमि रही हैं उक्त भूमि का अभी विभाजन नही हुआ हैं व समस्त कास्तकार उक्त भूमि को संयुक्त रूप से कास्त कर फसल का बंटवारा कर लेते हैं।
4. यह कि इस प्रकार से उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 बिना विभाजन करवाये जबरन कब्जा करना चाहते हैं जो कि एक अजनबी केता हैं व वादीगण के लिये वे हमेशा ही बाहमी व्यक्ति हैं जिन्हे विक्रय पत्र दिनांक 03.12.2007 के आधार पर बिना विभाजन करवाये उक्त भूमि मे घूसने व कास्त करने का अधिकार नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण स. 3 से 12 का संयुक्त रूप से अविभाजित कब्जा हैं फिर भी प्रतिवादीगण स. 1 व 2 लठ के जोर से वादीगण को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नही हैं।
6. यह कि दावे के लिए आधार विवाद गत दिनो जब वादी स.4 ने के.सी.सी. का ऋण लेने के लिए अपने रिकॉर्ड का पता लगाया तो उसका नाम जमाबन्दी मे नही मिलने से व दिनांक 03.12.2007 का प्रतिवादी स. 12 द्वारा प्रतिवादी स.1 व 2 के हक मे विवादित संयुक्त भूमि का नुमाईशी विकय पत्र निष्पादित करने से पैदा हुआ है इसलिये दावा सावधि पेश हैं।
7. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम कुटानिया में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में स्थित हैं इसलिए यह वाद पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
8. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस एवं दावा स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस एवं दावा , खाता विभाजन के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस अर्थात् दावा कल 3/– रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
9. यह कि विवादित भूमि की जमाबन्दी की नकल दिनांक 18.12.2007 को लेने के बाद अन्य हस्तानान्तरित नही हुआ हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

(क). कि ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना सिति भूमि हाल ख.न. 44 रकबा 0.80 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 1.16 हैक्टर ख.न. 279 रकबा 0.62 हैक्टर ख.न. 280 रकबा 0.64 हैक्टर ख. न. 295 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न. 410 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 411 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 412 ख.न. 0.65 हैक्टर ख.न. 413 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 510/413 रकबा 0. 66 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 8.05 हैक्टर मे वादी स. 4 का वादी स.1 से 3 के साथ 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित फरमाया जावे व इसी प्रकार नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख). यह कि उक्त विवादित भूमि वर्णित अनुतोष (क) मे वादीगण का 1/5 हिस्सा अलग कर लगान कायम कर खाता विभाजन की डिक्री दी जावे।

(ग). यह कि प्रतिवादी स. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित भूमि हाल ख.न. 44, 275, 279, 280, 395, 410, 411, 412, 413, 510/413 ग्राम कुठानिया मे दिनांक 03.12.2007 के आधार पर उक्त भूमि का विभाजन करवाये बिना उक्त भूमि मे न तो प्रवेश करे व ना ही उक्त भूमि को कास्त करे व वादीगण को प्रतिवादीगण स. 3 से 12 के साथ संयुक्त रूप से कास्त करने मे बाधा व रूकावट न डाले।

(घ). खर्चा दावा दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य अनुतोष जो उचित हो व मांगे जाने से रह गया हो व जो श्रीमानजी उचित समझे वह दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी स. 1 व 2 ने जवाब दावा एवं प्रतिदावा पेश किया शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादी स.1 व 2 ने जवाब दावा इस प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 मे विवादित भूमि का वर्णन स्वीकार हैं लेकिन गत ख. न. 30 का रकबा हाल खसरा न 45 मे भी शामिल हुआ हैं जिसका वादीगण ने वर्णन

(सुनील कुमार बोहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

नही किया हैं इ भूमि मे बीरबल का 1/5 हिस्सा होना स्वीकार हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 ने प्रतिवादी स. 12 मृतक गोपी का हिस्सा जरिय पंजिकृत विकय विलेख के दिनाक 03.12.2007 को खरीद कर काबिज हैं प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 का 1/5 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 6 लगायत 8 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स. 9 का 1/15 व प्रतिवादी स. 10 का 1/5 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 11 का 1/5 हिस्सा हैं वंशावली गलत हैं वादीगण को ठोस साक्ष्य से साबित करनी हैं।

2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 जिस भांति दर्ज हैं गलत हैं स्वीकार नही हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 के हक में मृतक प्रतिवादी स. 12 ने विकय पत्र सही पंजिकृत करवाया हैं एवं मूल्य की राशि चार लाख रू. प्राप्त कर कब्जा प्रतिवादी स. 1 व 2 को दे दिया गया हैं जिसका नामान्तकरण स. 258 भी उक्त प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम से तस्दीक हो चुका हैं वादीगण ने उक्त विकय विलेख के सम्बध मे गलत आक्षेप लगाये हैं वादीगण उक्त भूमि के कम मूल्य मे खुद खरीदना चाहते हैं जब प्रतिवादी स. 12 ने सही मूल्य पर प्रतिवादी स. 1 व 2 को बेचान कर दिया तो उससे वादीगण खिन्न हो गये एवं यह विकय विलेख पर गलत आक्षेप लगाते हुए दावा कर दिया जो खारीज योग्य हैं।

3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 गलत होने से स्वीकार नही हैं विवादित भूमि का मौके पर खातेदारो ने 40 वर्ष से भी अधिक समय से बाहमी बंटवारा कर अलग – अलग कास्त कर रहे हैं केवल कागजात मे खाता संयुक्त हैं अलग – अलग परिवार में संयुक्त कास्त सम्भव नही हैं वादीगण ने झूठेक तथ्य दर्ज कर यह दावा किया हैं।

4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 जिस भांति दर्ज हैं गलत होने से स्वीकार नही हैं मौके पर प्रतिवादी स.1 व 2 का प्रतिवादी स.12 गोपीराम के स्थान पर कब्जा हो चुका हैं प्रतिवादी स.1 व 2 भी संयुक्त खातेदारो के परिवार की सदस्या हैं वे अलग या स्ट्रेन्जर नही हैं कब्जा मौके पर बरकरार हैं प्रतिवादी स.1 व 2 नियमित रूप से कास्त कर रही हैं।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 गलत हैं स्वीकार नही हैं मौके पर प्रतिवादी स.1 व 2 का भी कब्जा हैं प्रतिवादी स. 12 की चूंकि अब मृत्यु हो चुकी हैं तथा अपने जीवनकाल मे ही वह अपना 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स.1 व 2 को बेचान कर उन्हे कब्जा दे चुका था इसलिए प्रतिवादी स. 12 का दावा दायरी के दिन कब्जा नही था। प्रतिवादी स.1 व 2 अपने पति व ससुर खातेदारो के साथ अपने हिस्से पर काबिज हैं लठ के बल पर कब्जा करने का प्रश्न ही नही हैं बल्कि शान्तिपूर्वक कब्जा कास्त हैं कब्जा भी पंजिकृत विकय विलेख के आधारपर मूल्य की राशि का भुगतान करने के आधार पर हैं।

6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 जिस भांति दर्ज हैं गलत है स्वीकार नही हैं प्रतिवादी स.12 द्वारा प्रतिवादी स. 1 व 2 को विधिवत् बेचान किया हैं जिसकी वादीगण व सह हिस्सेदारो को पूर्व मे जानकारी हैं प्रतिवादी स.1 व 2 के विकय पत्र पर वादीगण गलत आक्षेप लगाते हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से प्रतिदावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा . विभाजन इसी के साथ पेश हैं।

7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 मे भूमि होना स्वीकार हैं लेकिन पंजिकृत विकय विलेख को चेलेन्ज करने का हक वादीगण को नही हैं।

8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 8 कानूनी है उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

9. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 9 भी कानूनी हैं उतर की आवश्यक्ता नही हैं।

अन्त में जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का दावा मय खचा खारीज किया जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा निम्न प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि वाके ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि खसरा न. 44 रकबा 0.80 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 1.16 हेक्टर ख.न. 279 रकबा 0.62 हैक्टर ख.न. 280 रकबा 0.64 हेक्टर ख.न. 395 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न. 410 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 411 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 412 रकबा 0.65 हैक्टर ख.न. 413 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैक्टर किता 10 कुल रकबा 8.05 हैक्टर मे वादीगण का 1/5 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स.1 व 2 का 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 का 1/5 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 6 लगायत 8 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी स. 9 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी स. 10 का 1/15 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी स. 11 का 1/5 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 12 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी स.1 व 2 को विक्रय कर दिया हैं प्रतिवादी स.1 व 2 के नाम से नामान्तकरण स. 258 के जरिए विवादित भूमि की खातेदारी भी 1/5 हिस्सा दर्ज हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 चूंकि संयुक्त खातेदारो के परिवार की सदस्या हैं इसलिए प्रतिवादी स. 12 के स्थान पर वे काबिज हो चुकी हैं प्रतिवादीया स. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी स. 12 का 1/5 हिस्सा जरिए पंजिकृत विकय विलेख के चार लाख रू. में खरीदने से वादीगण नाराज हो गये क्योकि वे भी इस भूमि को कम कीमत पर खरीदना चाहते थें लेकिन प्रतिवादी स.12 ने प्रतिवादी स.1 व 2 को बेचान कर दिया जिससे वे अब प्रतिवादी स.1 व 2 को तंग व परेशान करने लगे हैं तथा यह झूठा दावा एवं इसके साथ आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिया जिसकी आड मे प्रतिवादीया स.1 व 2 के हिस्से मे ही मानने से आना कानी करने लगे हैं।
2. यह कि वाद पत्र एवं प्रतिदावा मे वर्णित भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 ने 1/5 हिस्सा खरीद कर काबिज हैं जिसके उपयोग – उपभोग करने का प्रतिवादी स. 1 व 2 को स्वतन्त्र अधिकार हैं । वादीगण को इसमे बाधा कारित करने का कोई हक नही हैं उक्त वादीगण प्रतिवादी स.1 व 2 के खरीदशुद्धा रकबा की सीमाओ को भी नष्ट करने की कोशिश करते हैं जिसका उन्हे हक नही हैं तथा सयुंक्त खातेदारी की भूमि मे से पेड आदि काटने काटने की कोशिश मे भी हैं इसलिये वादीगण को ऐसा हक नही हैं प्रतिवादी स.1 व 2 महिलाये हैं इसलिए उन्हे अपने हिस्से का विभाजन करवाने व अपने 1/5 हिस्सा का उपयोग – उपभोग करने मे वादीगण बाधा कारित नही करे व पेड आदि नही काटे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हुआ हैं इसलिए यह प्रतिदावा पेश किया जा रहा हैं।
3. यह कि प्रतिवादी स.1 व 2 का विवादित भूमि मे 1/5 हिस्सा खरीदशुद्धा हैं यदि वादीगण ने इसमे बाधा कारित की तो प्रतिवादी स.1व 2 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।
4. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार विवाद प्रतिवादी स.1 व 2 का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा होने व वादीगण द्वारा उसमे व्यवधान पैदा करने की कोशिश करने व यह दावा पेश करने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।
5. यह कि प्रतिदावा 2/–रू. कोर्ट फीस पर पेश हैं।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि –

(क). कि वाके ग्राम कुठानिया तह. बुहाना स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैक्टर ख.न. 275 रकबा 1.16 हैक्टर ख.न. 279 रकबा 0.62 हैक्टर ख.न. 280 रकबा 0.64 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 395 रकबा 0.72 हैक्टर ख.न. 410 रकबा 0.95 हैकटर ख.न. 411 रकबा 0.95 हैक्टर ख.न. 412 रकबा 0.65 हैक्टर ख.न. 413 रकबा 0.90 हैक्टर ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैक्टर किता 10 रकबा 8.05 हैक्टर मे प्रतिवादी स. 1 व 2 के 1/5 हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित कर लगान भी अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जाने कि कृपा करें।

(ख).कि वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाके ग्राम कुठानिया तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 44, 275, 279, 280, 395, 410, 411, 412, 413, 510/413 किता 10 कुल रकबा 8.05 हैक्टर में प्रतिवादी स. 1 व 2 के 1/5 भाग की भूमि के कब्जा कास्त उपयोग – उपभोग मे कोई दखलदाजी नही करे इसमे खड़े पेड़ आदि को नही काटे तथा कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करे । ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी परिवारजन , मित्रगण या अन्य किसी से करावे।

(ग).कि प्रतिवादी स. 1 व 2 का प्रतिदावा डिक्री किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो प्रतिवादीया को दिलाया जाने कि कृपा करें।

वादीगण की ओर से प्रतिवादी स. 1 व 2 के काउन्टर क्लेम का जवाब निम्न प्रकार पेश किया कि –

1. यह कि काउन्टर क्लेम के खण्उ न. 2 मे भूमि का विवरण सही हैं मगर काउन्टर कलेमेन्टस मे वादी स. 4 जयमल का हिस्सा नही माना हैं व उक्त जयमल के जींदाजी ही उसका 1/25 हिस्सा का कोई जिक्र नही किया जबकि वह वादीगण स. 1 लगायत 3 का सगा भाई हैं व बीरबल का पुत्र हैं इसलिये उसका विवादित भूमि मे 1/25 हिस्सा हैं।

   जहां तक प्रतिवादी स.1 व 2 द्वारा स्व. गोपी का 1/5 हिस्सा का सवाल हैं उक्त गोपी को कोई प्रतिफल नही दिया गया था इसलिए उक्त विक्रय पत्र उक्त गोपी के वारीस यादराम पुत्र कैलाशचन्द ने एक दावा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के यहां पेश किया हुआ हैं इस प्रकार से उक्त विक्रय पत्र शुन्य प्रभावी हैं व मौके पर उतरदाता का कब्जा हैं व प्रतिवादी स.1 व 2 का कोई कब्जा नही हैं उक्त विक्रय पत्र से प्रतिवादी स.1 व 2 को कोई हक व हिस्सा नही हैं।
2. यह कि काउन्टर क्लेम का खण्ड न. 2 अस्वीकार हैं उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03.12.2007 से प्रतिवादी स. 1 व 2 को कोई हक व हिस्सा नही मिला व ना ही उक्त भूमि का विभाजन हुआ हैं इसलिए प्रतिवादी स. 1 व 2 का कोई कब्जा उक्त भूमि पर नही हैं बिना विभाजन हुए प्रतिवादी स. 1 व 2 उक्त भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही जता सकती वादीगण उक्त भूमि में संयुक्त खातेदार हैं व उन्हे इस भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा समस्म वादीगण व शेष प्रतिवादीगण को करवाना चाहिए था जो उन्होने नही किया इसलिए काउन्टर कलेमेन्ट का काउन्टर क्लेम अधूरा हैं व खारीज होने योग्य हैं।
3. यह कि काउन्टर कलेम का खण्ड न. 3 अस्वीकार हैं काउन्टर कलेमेन्ट का तथाकथित 1/5 हिस्सा का कोई वर्णन नही दिया गया हैं वादीगण उक्त भूमि के संयुक्त खातेदार हैं इसलिए उनके विरूद स्थाई निषेधाज्ञा नही हो सकती हैं।
4. यह कि काउन्टर कलेम का खण्ड न. 4 अस्वीकार हैं काउन्टर कलेमेन्ट का मौके पर कोई कब्जा नही हैं इसलिए उनके द्वारा व्यवधान करने का प्रश्न ही पैदा नही होता हैं । काउन्टर क्लेमेन्ट का यह काउन्टर क्लेम झूठा पेश किया हैं जो खारीज होने योग्य हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

5. यह कि काउन्टर क्लेम का खण्ड न. 5 कोर्ट फीस से सम्बधित हैं इसलिए जवाब की आवश्यक्ता नही हैं।
6. यह कि काउन्टर क्लेम का अनुतोष अस्वीकार हैं।

अतिरिक्त उतर –

7. यह कि काउन्टर कलेमेन्ट के काउन्टर कलेम आदेश 8 नियम 6 ए. से 6 डी. तक के अनुसार वरिचीत नही किया हैं इसलिए काउन्टर कलेम के सभी सुचक नही आये हैं इसलिए भी काउन्टर कलेम खारीज होने योग्य हैं।

अन्त में काउन्टर जवाब पेश कर काउन्टर क्लेम खारीज करने का निवेदन किया

प्रतिवादी स. 1 व 2 द्वारा दिनांक 24.08.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया जो स्वीकार किया गया जिस पर प्रतिवादी स.1 व 2 ने संशोधित प्रतिदावा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि –

1. यह कि वाके ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमि ख.न 44 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं.ख.न.279 रकबा 0.62 हैं. ख.न.280 रकबा 0.64 हैं., ख.न.395 रकबा 0.72 हैं., ख.न.410 रकबा 0.95 हैं., ख.न.395 रकबा 0.72 हैं. ख.न.410 रकबा 095 हैं. ख.न.411 रकबा 0.95 हैं., ख.न.412 रकबा 0.65 हैं. ,ख.न.413 रकबा 0.90 हैं. ,ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. कुल किता 10 कुल रकबा 8.05 हैं. में वादीगण का 1/5 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी स. 3 लगायत 5 का 1/5 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 6 लगायत 8 का 1/15 हिस्सा , प्रतिवादी स. 9 का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी स. 10 का 1/15 हिस्सा हैं एवं प्रतिवादी स. 11 का 1/5 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी स. 12 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी स. 1 व 2 को विकय कर दिया हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम से नामान्तकरण स. 258 के जरिये विवादित भूमि की खातेदारी भी 1/5 हिस्सा दर्ज हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 1 व 2 चूंकि सयुक्त खातेदारो के परिवार की सदस्या हैं इसलिए प्रतिवादी स. 12 के स्थान पर वे काबिज हो चुकी है प्रतिवादीया स. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी स. 12 का 1/5 हिस्सा जरिए पंजिकृत विकय विलेख के चार लाख रू. में खरीदने से वादीगण नाराज हो गये क्योकि वे भी इस भूमि को कम कीमत पर खरीदना चाहते थें लेकिन प्रतिवादीस. 12 ने प्रतिवादी स. 1 व 2 को बेचान कर दिया जिससे वे अब प्रतिवादी स. 1 व 2 को तंग व परेशान करने लगे हैं तथा यह झुठा दावा एवं इसके साथ आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिया जिसकी आड़ में प्रतिवादीया स. 1 व 2 के हिस्से को ही मानने से आना कानी करने लगे हैं।

1.ए यह कि प्रति स. 1 व 2 ने वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/4113 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में 1/5 हिस्सा खातेदार गोपी पुत्र रूघा से जरिए पंजिकृत विकय पत्र के खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया हैं जिसके आधार पर वे खातेदार हैं एवं अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि वाद पत्र एवं प्रतिदावा में वर्णित भूमि में प्रतिवादी स. 1 व 2 में 1/5 हिस्सा खरीद कर काबिज हैं जिसके उपयोग – उपभोग करने का प्रतिवादीस. 1 व 2 को स्वतन्त्र अधिकार हैं वादीगण को इसमें बाधा कारित करने का कोई हक नही हैं उक्त वादीगण प्रतिवादीस. 1 व 2 के खरीदशुद्धा रकबा की सीमाओ को भी नष्ट

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

करने की कोशिश करते हैं जिसका उन्हे हक नही हैं तथा सयुक्त खातेदारी की भूमि में से पेड़ आदि काटने की कोशिश में भी हैं इसलिए वादीगण को ऐसा हक नही हैं प्रतिवादी स. 1 व2 महिलाये है इसलिए उन्हे अपने हिस्से का विभाजन करवाने व अपने 1/5 हिस्सा का उपयोग – उपभोग करने में वादीगण बाधा कारित नही करे व पेड़ आदि नही काटे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हुआ व इसलिये यह प्रतिदावा पेश किया जा रहा हैं।

3. यह कि प्रतिवादी स. 1 व 2 का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा खरीदशुद्धा हैं यदि वादीगण ने इसमें बाधा कारित की तो प्रतिवादी स. 1 व 2 को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।

4. यह कि प्रतिदावा के लिए आधार विवाद प्रतिवादी स. 1 व 2 का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा होने व वादीगण द्वारा उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश करने व यह दावा पेश करने से पैदा हुआ हैं अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

5. यह कि प्रतिदावा 2/–रू. कोर्ट फीस पर सेवामें पेश हैं –

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि :–

(क). कि वाके ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न 410 रकबा 0.5 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न.510/413 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स. 1 व 2 के 1/5 हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित कर लगान भी अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने कि कृपा करें

(ख) .कि वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख. न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स. 1 व 2 को विक्रय पत्र दिनांक 3.12.2007 के आधार पर 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाने कि कृपा करें।

(ग.) कि वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम कुठानिया तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 44, 275,279, 280, 395, 410, 411, 412, 413,510/413 किता 10 कुल रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादीस. 1 व 2 के कब्जा कास्त ,उपयोग – उपभोग में कोई दखल अंदाली नही करें इसमें खड़े पेड़ आदि को नही काटें तथा कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही करें ऐसा कोई कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी परिवारजन , मित्रगण या अन्य किसी से करवायें।

(ध). कि प्रतिवादीया स. 1 व 2 का प्रतिदावा डिक्री किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित कर गया हो प्रतिवादीगण को दिलाया जाने कि कृपा करें।

वादीगण द्वारा प्रतिवादी स.1 व 2 के संशोधित प्रतिदावा का कोई जवाब पेश नही किया गया पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई बार – बार अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य वादी पेश नही की गई अन्त में साक्ष्य वादी बन्द की गई पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत की गई साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी.डब्लू.1 चिड़िया देवी , डी.डब्लू 2 जवानाराम के शपथ पत्र पेश किये गये लेकिन वादीगण की ओर से उनसे जिरह नही की गई बार – बार अवसर देने के बावजूद जिरह नही करने पर जिरह बन्द की गई बहस सुनी गई वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र के

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

समर्थन मे कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की हैं तथा प्रतिवादीगण की ओर से जमाबन्दी प्रदर्श 1 लगायत 5 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 व 7 तथा जमाबन्दी प्रदर्श 8 व 9 एवं विकय पत्र प्रदर्श 10 प्रस्तुत किया गया मुताबिक जमाबन्दी विकय पत्र दिनांक 03.12.2007 के द्वारा विकेता गोपी के स्थान पर प्रतिवादी स.1 व 2 जमाबन्दी प्रदर्श 1 के अनुसार नामान्तकरण स. 258 के द्वारा इस भूमि की खातेदार दर्ज हुई है एवं उक्त विकय पत्र के खिलाफ वादीगण के द्वारा अन्य कोई उज्र पेश नही किये गये हैं। इसलिए इस विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी स.1 व 2 वाद वर्णित भूमि के 1/5 हिस्से की खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। एवं अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। तथा वादीगण का दावा साबित नही होने से खारीज किये जाने योग्य हैं।

— :: आदेश ::—

अतः प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 का प्रतिवादी दावा डिक्री कर वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स.1 को 1/10 एवं प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 को 1/10 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स.1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 के 1/5 हिस्से का खाता अलग से विभाजित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तथा वादीगण का दावा खारीज किया जाता हैं तहसीलदार बुहाना को 1000/—रू. फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि विभाजन नियम एवं रास्ता सम्बधी परिपत्र के अनुसार पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित करे। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हों। ''

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक3/11/23को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इसन्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुल्ले न्यायालय मे सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संः– 232/2010

निर्णय दिनांकः– 3/11/23

छोटूराम **बनाम** चिडियां आदि
दावा – धोषणात्मक , खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादीगण की ओर की ओर से श्री राजेश यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3/11/23 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और प्राथमिक डिक्री दी जाती हैं कि –

"अतः प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 का प्रतिवादी दावा डिक्री कर वाके ग्राम कुठानिया स्थित भूमि ख.न. 44 रकबा 0.80 हैं. ख.न. 275 रकबा 1.16 हैं. ख.न. 279 रकबा 0.62 हैं. ख.न. 280 रकबा 0.64 हैं. ख.न. 395 रकबा 0.72 हैं. ख.न. 410 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 411 रकबा 0.95 हैं. ख.न. 412 रकबा 0.65 हैं. ख.न. 413 रकबा 0.90 हैं. ख.न. 510/413 रकबा 0.66 हैं. किता 10 रकबा 8.05 हैं. में प्रतिवादी स.1 को 1/10 एवं प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 को 1/10 हिस्से की खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी स.1 व प्रतिवादी स. 2/1 लगायत 2/9 के 1/5 हिस्से का खाता अलग से विभाजित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, तथा वादीगण का दावा खारीज किया जाता हैं तहसीलदार बुहाना को 1000/–रू. फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि विभाजन नियम एवं रास्ता सम्बधी परिपत्र के अनुसार पालना करते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय को प्रेषित करे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 3/11/23. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)